महत्वपूर्ण एवं खास

देश सेवा कर लौटे फौजी परमेश्वर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के युवा पीढ़ी देश सेवा में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम रेड़ा के परमेश्वर यादव ने भारतीय थल सेना में फौजी की अपनी सेवा देकर घर गांव में सकुशल वापसी की है। परमेश्वर यादव की सेना में नियुक्ति 2004 में हुआ था। फौजी यादव ने भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र आदि स्थानों में अपनी सेवा दी है। उनके घर वापसी पर गांव के वरिष्ठ नागरिक एवम शिक्षाविद चुनेश्वर वर्मा सहित कई लोगों ने तिलक लगाकर सम्मानित किया। घर में फौजी यादव के माता, पत्नी पुत्र, पुत्री, भाई बहन सभी ने तिलक लगाकर और पूजा की थाली से स्वागत किया। उनके वापसी पर डीजे की धुन पर गांव में देशभक्ति के गानों और ढोल से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गांव के लोग बड़ी संख्या में घर के दरवाजे पर खड़े होकर और फौजी यादव के घर के पास स्वागत के दौरान मोहल्ले और गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

35 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा-रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण बस्तर के तीनों जिले के सरहदी इलाकों में सक्रिय 35 माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है, इनमें से तीन माओवादियों पर शासन की ओर से एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित था. दक्षिण बस्तर में पुलिस व सीआरपीएफ का माओवादियों पर बढ़ते दवाब का परिणाम नजर आने लगा है. जिसके असर के तौर पर सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में सक्रिय 35 माओवादियों ने एक साथ आज समर्पण किया है. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की मौजूदगी में मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि माओवादी खोखली विचार धारा को समझ चुके हैं. जो लोग नक्सली संगठन को छोड़ कर आ रहे हैं, उनको शासन की पुनर्वासनीति का पूरा लाभ मिलेगा।

किरंदुल लाइन पर लैंडस्लाइड से थमे ट्रेनों के पहिए

जगदलपुर-रायपुर (आरएनएस)। किरंदुल-कोट्टावालसा रेललाइन में आज सुबह लैंडस्लाइड हो गया है। जिससे बोडवारा और शिवलिंगपुरम स्टेशन के बीच चट्टान से टकराकर मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। घटना जगदलपुर से 230 किलोमीटर दूर आंध्रप्रदेश के पास घटी। जिसके चलते रेल आवागमन बंद हो गया है। विशाखापट्टनम से किरंदुल आने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को विशाखापट्टनम में अभी रोक दिया गया है। रेललाइन का दोहरीकरण कार्य चल रहा है। अरकू और कोरापुट रेलखंड में रेलमार्ग अनंतगिरी घाट से गुजरती है। रेललाइन दोहरीकरण के लिए यहां पहाड़ों को काटा जा रहा है। जिससे कभी कभार चट्टानें पहाड़ से टूटकर पटरी पर गिर जाती है। ट्रेक को बहाल करने टीम को मौके के लिए रवाना किया गया है।

मरीन ड्राइव के पास चलती कार में लगी आग

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर में चलती कार में आग लग गई। मामला तेलीबांधा के पास मरीन ड्राइव का है। हालांकि इन दोनों ही मामलो में किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कपड़ा कारोबारी संतोष माखीजा अपनी पत्नी के साथ कार से सदर बाजार किसी काम से आए हुए थे। काम निपटाकर वे घर जाने के लिए निकल रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद कार से अचानक तेजी से धुआं उठने लग गया। संतोष माखीजा कुछ समझ पाते तभी कार के बोनट से आग की लपटें तेजी से उठने लगीं। फौरन दोनों पति-पत्नी कार से निकलकर बाहर की ओर भागे। इस बीच कार के सामने के हिस्से में आग फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने फौरन पानी और फायर एक्सटिंगुइशर की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में कार का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई है।

चुनाव ड्यूटी में लगे सुरक्षाबलों, कोटवारों एवं निजी सिक्युरिटी गार्ड की थाना प्रभारियों ने ली बैठक, सुरक्षा संबंधी दिए आवश्यक निर्देश

- थाना खरसिया में प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल ने ली ग्राम कोटवारों की बैठक, बेहतर व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश

रायगढ़

लोकसभा चुनाव 2024 के तृतीय चरण में 07 मई को जिले में मतदान होना है। चुनाव ड्यूटी पर रवाना होने से पूर्व जिले के सभी थाना, चौकियों में प्रभारियों द्वारा पुन: अधिनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ ग्राम कोटवारों एवं कंपनियों सिक्युरिटी गार्ड की बैठक लेकर उन्हें मतदान तिथि को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। कोटवारों को उनके ड्यूटी सर्टिफिकेट वितरण कर संबंधित सेक्टर पुलिस अधिकारी, बीएलओ एवं पेट्रोलिंग अधिकारियों के नंबर साझा किये और उन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों व जवानों के साथ तालमेल बनाकर बूथ में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया।

इसी कड़ी में प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल द्वारा आज थाना परिसर में क्षेत्र के ग्राम कोटवारों की बैठक ली गई। बैठक में प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल ने कोटवारों से उनकी ड्यूटी के संबंध में जानकारी लिये और उन्हें सेक्टर अधिकारी, बीएलओ, बूथ पर लगे सुरक्षाकर्मियों के संपर्क नंबर रखने निर्देशित कर क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना तत्काल अधिकारियों को देने कहा गया। बैठक में थाना खरसिया के स्टाफ एवं क्षेत्र के समस्त कोटवारों की उपस्थित रहे।

जिले में पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों ने सभी थानाक्षेत्र में किया फ्लैग मार्च

- मतदान दिवस के 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार-प्रसार पर लगा प्रतिबंध
- शांति और शुचिता के साथ चुनाव संपन्न करने प्रशासन और पुलिस मुस्तैद

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत जिले में 07 मई को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा आज मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

चुनावी प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध के पश्चात प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन कर मतदाताओं को प्रभावित ना करें। इसे लेकर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को अंतरजिला और अंतरर्राज्यीय चेक पोस्ट की निगरानी और कड़ी करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही स्थैतिक निगरानी दल, उडनदस्ता और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ एरिया डोमिनेंस और जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश हैं जिससे निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराया जा सकें।

इसी कड़ी में आज जिले के सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जिला पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर नागरिकों को जिले में शांति और सुरक्षा का बोध कराया गया। इस दौरान अधिकारियों व जवानों ने मतदाताओं को 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की गई।

टायर रिसोल्ड और रिपेयरिंग दुकान में चोरी करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

- आरोपी से चोरी में प्रयुक्त स्कूटी, 02 ट्रक/ट्रेलर के डिस्क और 05 टायर जब्त

रायगढ़

कोतवाली पुलिस द्वारा टायर रिसोल्ड और रिपेयरिंग करने वाले दुकान/गैराज से लोहे के सामानों की चोरी करने वाले आरोपी युवक पंकज खुंटे निवासी ढिमरापुर रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अपने साथी युवक के साथ मिलकर सड़क किनारे गैरेज से लोहे के सामानों की चोरी करते थे।

02 मई को थाना कोतवाली रायगढ़ में रिपोर्टकर्ता मुफिद आलम (उम्र 18 वर्ष) निवासी राजीव गांधी नगर मिट्ठुमुड़ा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनका रायगढ़-पूंजीपथरा मेन रोड़ पर उर्दना सूरज रोलिंग मिल के सामने सिनियर टायर वर्कशप के नाम से दुकान/गैराज है, जहाँ विभिन्न वाहनों के टायर रिसोल्ड एवं रिपेयरिंग किया जाता है। कुछ दिनों पहले ईद त्यौहार के समय कुछ दिन तक दुकान बंद था, दुकान परिसर में रखे टायर एवं अन्य सामान कम थे, इनके पिताजी के बाहर रहने के कारण सामान का मिलान नहीं कर पा रहे थे कि दिनांक 01/05/2024 के सुबह करीब 05:00 बजे दो लड़के लाईट बंद कर दुकान परिसर से डिस्क और कुछ सामान निकाल रहे थे, जिसे देखकर मुफिद और उसका भाई दोनों चोर को पकड़ने का प्रयास किये, किंतु वे दुकान के बाहर उनका स्कुटी सीजी 13 एयू 2879 को छोड़कर भाग गये। दुकान परिसर में रखे सामानों का मिलान करने पर दस चक्का ट्रक का लोहे का डिस्क, एलजी कंपनी का रबर बैठाने का प्रेस मशीन, 100x20 साईज का रिसोल्ड टायर नहीं था। थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों पर अपराध क्रमांक 257/2024 धारा 379,34 आईपीसी चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर माल मुल्जिम पतासाजी में लिया गया। आज मुखबिर सूचना पर संदेही पंकज खुंटे निवासी ढिमरापुर रायगढ़ को हिरासत में लिया गया जिससे चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी के साथ मिलकर उसकी स्कूटी में पिछले कुछ दिनों से पूंजीपथरा रोड के गैरेज में लोहे के सामानों की चोरी करना और उन्हें सस्ते दामों में ट्रक ड्राइवर को बेचकर प्राप्त रूपयों को दोनों दोस्त आपस में बंटवारा कर लेना बताया। आरोपी पंकज खुंटे स्वर्गीय श्रीराम खुंटे उम्र 23 साल पुरानी बस्ती हनुमान मंदिर गली ढिमरापुर रोड़ थाना कोतवाली जिला रायगढ़ के मेमोरेंडम पर 02 लोहे का डिस्क, 5 पुराने टायर और स्कूटी CG13 AU 2878 की जप्ती कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के साथी फरार है, जिसकी कोतवाली पुलिस सरगर्मी से पतासाजी कर रही है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में माल मुलाजिम पतासाजी में प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू, जगदीश नायक, हेमन पात्रे, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, बनारसी सिदार, संदीप मिश्रा, उत्तम सारथी, मनोज पटनायक एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

अज्ञात मृतक के वारिसान को तलाश रही जूटमिल पुलिस

- शनि मंदिर के पास घायल पड़ा मिला था युवक, इलाज दौरान मेडिकल कॉलेज में हुई मौत

रायगढ़

थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत 02 मई के सुबह शनि मंदिर के ढलान के पास एक युवक घायल अवस्था में मिला जिसे संभवत: वाहन की ठोंकर से चोट आयी थी। घायल युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल युवक ने अस्पताल में अपना नाम सुरेंद्र सिंह बताया था जिसकी ईलाज दौरान मेडिकल कल रात्रि (04 मई के मध्य रात्रि 01:35 बजे) निधन हो गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती दौरान घायल युवक की सुध लेने कोई नहीं आया। घटना के संबंध में जूटमिल पुलिस को आज अस्पताल तहर्रिर प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जूटमिल पुलिस द्वारा मृतक सुरेंद्र सिंह (उम्र करीब 23-24 साल) के वारिसानों का पता लगाने जिले के सभी थाना/चौकी को वितंतु संदेश से सूचित कर उसके फोटो कोटवार एवं विभिन्न व्हाटसअप ग्रुपों में शेयर किया गया है।

ठगी का शिकार हुए युवक को छाल पुलिस ने लौटाया 3.70 लाख रुपए, न्यायालय आदेश पर पुलिस ने की सुपुर्दनामे की कार्यवाई

रायगढ़

छाल पुलिस द्वारा 28 अप्रैल को ग्राम पुरूंगा निवासी संदीप कुमार तिग्गा पिता लाल साय तिग्गा (36 साल) से कनाडियन एयरलाइंस में फूड पैकेजिंग का जॉब दिलाने के नाम पर 3,70,000 रुपये की ठगी करने वाले आरोपित कुंदन कुमार पिता रामजतन पंडित उम्र 26 साल निवासी हवासपुर थाना पटोरी जिला समस्तीपुर (बिहार) हाल मुकाम एमसीएफ 162 चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ को समस्तीपुर (बिहार) से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया तथा आरोपी को थाना छाल के अप.क्र. 82/2024 धारा 420 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

मामले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी छाल निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा ठगी के पीड़ित संदीप कुमार तिग्गा के ठगी के रूपये वापस दिलाये जाने की हेतु माननीय न्यायालय में विधिवत प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित कुंदन कुमार से पीड़ित संदीप तिग्गा से ठगी की रकम रु.3.70 लाख एवं अन्य दो पीड़ित संजीत कुमार कुजूर निवासी सुंदरगढ़ के रु.3.50 लाख तथा पीड़ित संजोग मिंज निवासी जशपुर के रु.3.50 लाख कुल रु.10.70 लाख रूपये पीड़ितों को सुपुर्दनामे पर वापस करने आदेशित किया गया है। आदेश के पालन में कल थाना प्रभारी छाल निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा पीड़ित संदीप कुमार तिग्गा को ठगी के रकम 3,70,000 रुपये सुपुर्दनामे पर वापस किया गया है। पीड़ित संदीप कुमार तिग्गा द्वारा न्यायालीन प्रक्रिया पर संतुष्टि जाहिर कर छाल पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

बालिका से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गया जेल

रायगढ़

दिनांक 03/05/2024 को स्थानीय महिला द्वारा थाना चक्रधरनगर में आकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के हेमलाल साव द्वारा गंदी नियत से छेड़छाड़ करने की आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी। महिला बताई कि 2 अप्रैल के शाम बालिका गांव के दुकान सामान खरीदने गई थी। जहां पीछे से आकर हेमलाल साव लड़की को गलत तरीके से स्पर्श कर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। लड़की घर आकर रोते हुए घटना बताई। तब बालिका की मां उसे साथ लेकर दुकान गई। लड़की ने दुकान में खड़े हेमलाल की ओर इशारा कर गंदी नियत से छुना और गंदी बातें करना बतायी। पीड़ित बालिका की मां द्वारा हेमलाल पर कार्यवाही करने थाना चक्रधरनगर में आवेदन दिया गया। आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में आरोपित हेमलाल साव पर अप.क्र. 220/2024 धारा 354, 354-क आईपीसी 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले में संवेदनशीलता बरतते हुये पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर पीड़ित बालिका का महिला जांचकर्ता अधिकारी से विस्तृत कथन कराकर तत्काल आरोपी हेमलाल साव पिता मिलन साव उम्र 26 वर्ष की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड लेने न्यायालय पेश कर जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है। नाबालिग से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

आबकारी टीम सरसीवा ने किया 10 लीटर शराब और मारुती कार जब्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान जिले में आबकारी विभाग द्वारा आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता और कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश साहू के निर्देश के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर विजय सेन शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में बिलाईगढ़ क्षेत्र में कार्यवाही किया गया।

आबकारी वृत्त सरसीवा को ग्राम गस्त के दौरान आबकारी विभाग को सूचना मिली की ग्राम नकटीडीह से ही एक व्यक्ति जो की सफेद रंग की मारुती ऑल्टो वाहन क्रमांक सीजी 10 एफए 1725 में कच्ची महुआ शराब को रखकर तेजी से ग्राम जमगहन चुरेला की ओर जा रहा है 1

सूचना की पुष्टि होने पर तत्काल आबकारी टीम के साथ ग्राम चुरेला पर गए तथा उक्त वाहन क्रमांक की प्रतीक्षा करने लगे वाहन को आता देख कर वाहन को टीम के द्वारा रुकवाया गया। वाहन चालक को मुखबीर सूचना की जानकारी दी गई तथा उनके वाहन एवम वाहन में रखी सामग्री तलाशी कार्य में सहयोग देने के लिए कहा गया। आबकारी उपनिरीक्षक ने टीम के साथ विधिवत रूप से वाहन एवम उसमे रखी सामग्री की तलाशी ली। तलाशी में वाहन से एक 20 लीटर की क्षमता वाली पालीथीन की बड़ी झिल्ली में भरा लगभग 10 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक ने तरल पदार्थ का कच्ची महुआ शराब होना स्वीकार किया जिसे वह विक्रय करने के लिए ले जा रहा था। मौके पर प्राप्त तरल का परीक्षण करने पर उसका कच्ची महुआ शराब होना पाए जाने पर मदिरा को सील बंद कर मदिरा और वाहन को कब्जा आबकारी विभाग द्वारा लिया गया। वाहन चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(2) 59(क) का प्रकरण कायम कर आरोपी राजकुमार विश्वकर्मा पिता ग्रहन विश्वकर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक , आबकारी आरक्षक धनेश्वर राव, सुरक्षा गार्ड लोचन साहू तथा ड्राइवर रुस्तम का विशेष योगदान रहा।

मतदान के पहले बरमकेला आबकारी टीम ने जब्त किया 25 लीटर शराब और 800 किलो लाहन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोकसभा निर्वाचन अवधि में मतदान दिवस के पहले आबकारी विभाग बरमकेला वृत्त ने 5 हजार रूपए मूल्य का शराब और 40 हजार रूपए मूल्य का लाहन जब्त किया।

आबकारी बरमकेला वृत्त को सूचना मिली कि किंकारी डैम बनहर थाना डोंगरीपाली में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है जिसे आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है। सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान किंकारी डैम बनहर पर पहुंचे वहा पर 25 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा बोरियो में भरा महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 800 किलोग्राम कच्ची महुआ

शराब को आबकारी विभाग द्वारा कब्जा लिया गया और विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है 1 इस कार्यवाही में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा,आबकारी उपनिरीक्षक हाबिल खलखो, आबकारी आरक्षक गणेश धीरज, मोहनलाल चौहान, नगर सैनिक उमा सिदार का उल्लेखनीय योगदान रहा1

खरसिया पुलिस ने ग्राम हालाहुली में शराब रेड कार्यवाई कर अवैध शराब बेच रहे व्यक्ति को पकड़ा

- आरोपी से 37 पाव देशी प्लेन शराब और बिक्री रकम जब्त

रायगढ़ | शुष्क दिवस से पहले अवैध शराब के संग्रहण को लेकर थाना प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में सक्रिय किये गये मुखबीरों से जानकारी लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 04.05.2024 को थाना खरसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हालाहुली में कालेश्वर प्रसाद राठौर द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर थाना खरसिया के उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन एवं हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम हालाहुली में संदेही कालेश्वर प्रसाद राठौर के मकान पर गवाहों के साथ शराब रेड कार्रवाई किया गया। मौके पर पुलिस को देखकर शराब खरीदने एवं पीने वाले व्यक्ति भाग गए। घर के दरवाजा के पास खड़े व्यक्ति को शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम कालेश्वर प्रसाद राठौर पिता स्व.कृपाराम राठौर उम्र 55 वर्ष निवासी हालाहुली थाना खरसिया का रहने वाला बताया जिसके निशानदेही पर कमरे के अंदर एक प्लास्टिक बोरी में रखा 37 पाव प्लेन मदिरा सीलबंद जुमला 6.66 लीटर कीमती रु.3,330 एवं शराब बिक्री रकम रु.500 जप्त किया गया है। आरोपी कालेश्वर प्रसाद राठौर पर थाना खरसिया में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शराब रेड कार्रवाई में उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, आरक्षक प्रदीप तिवारी और योगेश साहू शामिल थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU